न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

रा.प्र.क्र. 28 / ब–121 / 2023–24
ई–कोर्ट नंबर 202403150100006

छ.ग. शासन
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा)
तोकापाल
जिला बस्तर (छ.ग.) ....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रूकमणी सज्जन
पति श्री जगबन्धु सज्जन
उम्र–43 वर्ष, जाति कलार
(सेवामुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता)
ग्राम पुसेम, ग्राम पंचायत बिरंगाली
तहसील बास्तानार, जिला बस्तर (छ.ग.) .... अनावेदिका

आदेश
(पारित दिनांक 26.06.2024)

प्रस्तुत प्रकरण विकासखण्ड बास्तानार के ग्राम पंचायत बिरगाली के आश्रित ग्राम पुसेम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रूकमणी सज्जन के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र बंद करने एवं अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने से उसे वहां से हटाने एवं दोबारा आंगनबाड़ी केन्द्र पुसेम में पदस्थ नहीं करने हेतु ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 314 / शिकायत / अ.वि.अ.रा. / 2024, दिनांक 07.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व निरीक्षक बड़ेकिलेपाल, हल्का पटवारी के साथ दिनांक 23.01.2024 को ग्राम पुसेम में उपस्थित होकर ग्राम प्रमुख, पंचगण व ग्रामवासियों की उपस्थिति में पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रूकमणी ग्राम पुसेम में लंबे समय से पदस्थ थी, किन्तु कई–कई दिनों तक ग्राम में नही आती थी, आंगनबाड़ी केन्द्र को बंद रखती थी तथा बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं करती थी । ग्रामवासियों के द्वारा उसे हटाकर अन्य कार्यकर्ता को ग्राम में पदस्थ करने की मांग की गई थी । वांछित प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया ।

2. अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती रूकमणी सज्जन (सेवामुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) को कारण बताओ नोटिस क्रमांक / रा.प्र.क्र. 02 / 28 / ब–121 / 2023–24, दिनांक 13.03.2024 जारी कर जवाब मांगा गया । श्रीमती रूकमणी सज्जन के द्वारा दिनांक 27.03.2024 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उसके द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने एवं ग्रामवासियों द्वारा पुनः आंगनबाड़ी केन्द्र पुसेम में पदस्थ नहीं किये

सत्य–प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कलेक्टर का कार्यालय
जिला–बस्तर, जगदलपुर

Head Copyist
CANCELLED

Scanned with OKEN Scanner

जाने हेतु ग्रामवासियों ने शिकायत की है जो कि निराधार है । ग्राम पुसेम आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में विगत 20 वर्षो से कार्यरत है । इन 20 वर्षो में प्रथमबार दिनांक 18.07.2023 को कार्य में लापरवाही बरतने हेतु पहला स्पष्टीकरण पत्र परियोजना अधिकारी ए.बा.वि.परि. बास्तानार का पत्र 122/लेखा/2023–24 दिनांक 18.07.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हित में लड़ाई लड़ते हुए संघ का दायित्व होने के कारण वह हड़ताल में रही, जिस कारण आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहे किन्तु ड्यूटी के समय में कभी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरती गयी न ही कभी आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रखा गया और न ही बच्चों को कोई अहित किया गया । आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के लिए सत्य और हक की लड़ाई लड़ने के कारण मुझे झूठा फंसाने की मंशा से पूर्वाग्रह का शिकार बनाकर अज्ञात लोगों द्वारा ग्रामवासियों को भड़काया गया है, जिस कारण झूठी शिकायत हुई है । श्रीमती रूकमणी सज्जन के द्वारा अपने जवाब में आगे यह भी कहा है कि प्रथम शिकायत जो कि झूठी और मनगढ़त है, इस पर क्षमा प्रदान करते हुए प्रकरण को समाप्त कर पुनः पुसेम आंगनबाड़ी केन्द्र में पदस्थ करने हेतु निवेदन किया गया ।

3 श्रीमती रूकमणी सज्जन द्वारा पूर्व में दिनांक 17.11.2023 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वह आगंबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ होकर ग्राम पंचायत बिरगाली के आश्रित ग्राम पुसेम में लगभग 21 वर्षो से पदस्थ थी । दिनांक 18.08.2023 को कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार के पत्र क्र. 149/ लेखा/2023–24 को एक कारण बताओ लिखित सूचना दिया गया था, जिसके परिपालन में दिनांक 28.07.2023 को विस्तारपूर्वक जवाब प्रस्तुत कर उसकी प्रतिलिपि श्रीमान् कलेक्टर महोदय, परियोजना अधिकारी ए.बा.वि.परि. बास्तानार, सरपंच ग्राम पंचायत बिरगाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु जवाब प्रस्तुत की थी, परन्तु कार्यालय जनपद पंचायत बास्तानार, जिला बस्तर के द्वारा पोस्ट के माध्यम से दिनांक 03.10.2023 को सेवा समाप्ति का आदेश पत्र भेजा गया था, जो दिनांक 09.10.2023 को प्राप्त हुआ । इस बात की जानकारी ग्राम पंचायत बिरगाली के सरपंच, पटेल, कोटवार एवं समस्त पंचगण को देने पर ग्राम पंचायत के सरपंच के अतिरिक्त सभी पदाधिकारी एवं ग्रामवासी अनभिज्ञ जाहिर किये की ऐसा कैसे हो सकता है, बैगेर किसी शिकायत के आपको सेवा मुक्त कैसे किया जा सकता है । श्रीमती रूकमणी सज्जन के द्वारा अपने इस आवेदन के साथ 1. श्री महेश पोयाम 2.श्री अशोक कुमार पोयाम 3.श्री फगनुराम पोयामी 4.सुखराम पोयामी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। श्रीमती रूकमणी सज्जन के द्वारा आगे यह भी कहा है कि ग्राम पुसेम में व ग्राम पंचायत बिरगाली के किसी भी ग्राम के आगनबाड़ी केन्द्र के कोई भी बदनियती बेमानी नहीं किया गया है, वह बेकसूर व निर्दोष है । कुछ असंतुष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो उसके परिवार से दुश्मनी रखते है, उनके द्वारा फर्जी शिकायत पत्र पेश कर अधिकारियों को भड़काया गया है । यदि सेवा से बहाली नहीं किया जाता है तो मजबूर होकर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विभाग के विरूद्ध अलग से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होगी । तथा सेवा से बहाल किये जाने का आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया ।

Head ... BASTAR ... FOR COPYING FEES ... ONE RUPEE
प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
का कार्यालय
बस्तर, जगदलपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. श्रीमती रूकमणी सज्जन के द्वारा 04 व्यक्तियों 1.श्री महेश पोयामी पिता श्री रामा पायामी, उम्र–29 वर्ष, निवासी ग्राम डोकम, ग्राम पंचायत कबरगाली 2.श्री अशोक कुमार पोयाम पिता श्री जोगो, उम्र–27 वर्ष, निवासी ग्राम डोकम, ग्राम पंचायत कबरगाली 3.श्री फगनुराम पोयामी (सरपंच ग्राम पंचायत बिरगाली) पिता स्व. सुकड़ा, उम्र–55 वर्ष, निवासी ग्राम डोकम, ग्राम पंचायत कबरगाली 4.श्री सुखराम पोयामी पिता श्री रामा पोयामी, उम्र–56 वर्ष, ग्राम डोकम, ग्राम पंचायत कबरगाली, तहसील बास्तानार, जिला बस्तर का शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया है । अपने शपथ पत्र में सभी ने स्वीकार किया है कि श्रीमती रूकमणी सज्जन के विरूद्ध उनके द्वारा शिकायत पत्र किसी भी अधिकारी या किसी भी कार्यालय में नहीं दिया गया है । आवेदिका को किस कारण से ग्राम पुसेम के आंगनगाड़ी कार्यकर्ता के पद से हटाया गया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है । आवेदिका के विरूद्ध फर्जी हस्ताक्षर कर झूठी शिकायत पत्र देकर पदमुक्त करा दिया गया है, जो सरासर अन्याय है । ग्राम पंचायत पुसेम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत ही अच्छी व मिलनसार महिला है वह बेकसूर है ।

5. प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन पश्चात् इस न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य होने की अवधि तक कार्यालयीन आदेश क्रमांक/क/रीडर/प्र.क्र. 06/28/ब–121/2023–24, दिनांक 03.04.2024 के द्वारा श्रीमती रूकमणी सज्जन (सेवामुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम, ग्राम पंचायत बिरगाली) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बास्तानार के आदेश क्रमांक/1939/जन.स्था./2023–24, बास्तानार दिनांक 03.10.2023 के द्वारा की गई बर्खास्तगी की कार्यवाही में स्थगन आदेश जारी किया गया ।

6. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बास्तानार ने अपने पत्र क्रमांक/35/स्था./2024–25, दिनांक 21.05.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि विकासखण्ड बास्तानार के सरपंच, अन्य जन प्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम पुसेम, ग्राम पंचायत बिरगाली, विकासखण्ड बास्तानार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रूकमणी सज्जन के विरूद्ध जिलाध्यक्ष महोदय को शिकायत किया गया था । कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास शाखा) जगदलपुर, जिला बस्तर से उक्त शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त होने पर सर्वप्रथम दिनांक 14.07.2023 का ग्राम पुसेम ग्राम पंचायत बिरगाली जाकर शिकायत में उल्लेखित तथ्य की जांच की । शिकायत सही पाया गया । ग्रामवासी उक्त कार्यकर्ता के कार्य से संतुष्ट नहीं पाये गये । इस संबंध में तैयार जांच प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किये हैं । कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ 117/लेखा/2023–24, दिनांक 18.07.2023 द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बस्तर जगदलपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 149/लेखा/2023–24, दिनांक 28.07.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । कारण बताओ सूचना का प्रत्युत्तर प्राप्त न होने से जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती रूकमणी सज्जन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गई । दिनांक 29.09.2023 को महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक आयोजित कर श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरूद्ध शिकायत की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । बैठक में सभी सदस्यों ने श्रीमती रूकमणी सज्जन

की सेवा समाप्ति का सहमती दिये जाने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बास्तानार के आदेश क्रमांक 294/परि/ स्था./2023–24, दिनांक 03.10.2023 द्वारा श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पुसेम, ग्राम पंचायत बिरगाली की सेवा समाप्त किया गया । उक्त रिक्त पद पर श्रीमती मंझली ताती, आंगनबाड़ी पुसेम की कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया।

7. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बास्तानार के पत्र क्रमांक/53/स्था./2024–25, दिनांक 12.06.2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रीमती रूकमणी सज्जन, तत्कालिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम, ग्राम पंचायत बीरगाली का संबंधित जांच प्रतिवेदन एवं कार्यवाही संबंधी दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसके अनुसार श्रीमती रूकमणी सज्जन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पुसेम, ग्राम बिरगाली को बर्खास्त करने के संबंध में एक शिकायत पत्र श्री अशोक, एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रावासी ग्राम पंचायत बिरगाली, जनपद पंचायत बास्तानार के द्वारा कलेक्टर जिला बस्तर को प्रेषित किया गया । इस शिकायत पत्र के नीचे भाग में सरपंच ग्राम पंचायत बिरगाली, जनपद पंचायत के बास्तानार के सीलमुद्रा में श्री अशोक एवं ग्रामीण भानू, दुलगो के हस्ताक्षर हैं, तथा पृष्ठ भाग के एक कोरे पन्ने में अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं । इस शिकायत पत्र में मुख्य रूप से श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त करने की मांग की गई है ।

दिनांक 29.09.2023 को महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक सामान्य सभा की बैठक के साथ रखा गया, जिसमें ग्राम पंचायत बिरगाली अंतर्गत पुसेम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रूकणी सज्जन के विरूद्ध शिकायत जांच सहीं पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु समिति के समक्ष रखा गया । उपस्थित सदस्यों द्वारा बर्खास्त किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया । परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बास्तानार द्वारा इस कार्यवाही पंजी की एक फोटोप्रति प्रस्तुत किया है, किन्तु मूल पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया ।

8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तोकापाल के पत्र क्रमांक/407/अ.वि.अ.(रा)/2023–24, दिनांक 26.03.2024 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम की शिकायत के संबंध में तहसीलदार बास्तानार से जांच कराया गया । राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23.01.2024 को जांच प्रतिवेदन सहित पंचनामा उपलब्ध कराया गया कि उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रूकमणी सज्जन ग्राम पुसेम में लंबें समय से पदस्थ रही, किन्तु उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई–कई दिनों तक ग्राम में उपस्थित नहीं रहने तथा आंगनबाड़ी केन्द्र को बंद रखने एवं बच्चांका देखभाल ठीक से नहीं करने के कारण उक्त ग्राम के ग्रामीणों द्वारा उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाये जाने की मांग की गई थी । तहसीलदार बास्तानार द्वारा उक्त संबंध में ग्रामीणों एवं शिकायतकर्ता का कथन लिया गया, जिसमें ग्राम पुसेम के वार्ड पंच रमलू कवासी पिता बुधू, बोमड़ाराम कवासी पिता

... 5 ...

FOR COPYING FEES
प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
कार्यालय
जगदलपुर

Scanned with OKEN Scanner

हिड़मों, आंगनबाड़ी सहायिका की बहु श्रीमती सोनमती पति दिवाड़, उपसरपंच श्री नीलूराम पोयाम, ग्राम पंचायत बिरगाली द्वारा अपने कथन में पूर्व पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रूकमणी सज्जन के विरूद्ध की गई कार्यवाही को सही बताते हुए अन्य कार्यकर्ता को उक्त ग्राम में पदस्थ करने की मांग की गई ।

शिकायतकर्ता श्रीमती रूकमणी सज्जन द्वारा कथन किया गया कि ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायत साजिशपूर्ण एवं झूठा है । सेवामुक्त आदेश को वापस लेकर पुनः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया गया । शिकायतकर्ता के साथ उपस्थित गवाह श्री अशोक पिता जोगो, सरपंच ग्राम पंचायत बिरगाली, महेश पिता रा, निवासीग्राम ढोकम, फगनू पिता सुकड़ा, पटेल ग्राम बिरगाली द्वारा अपने कथन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निष्ठावान बताकर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत को झूठा बताया जाकर उसे पुनः उक्त ग्राम में पदस्थ करने का निवेदन किया गया ।

9. प्रकरण में 1.अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल 2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बास्तानार 3.परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार से प्राप्त प्रतिवेदन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया । श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम की सेवा समाप्ति के पूर्व ग्राम पंचायत बिरगाली के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि कि श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुसेम द्वारा अपने पद पर कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई हो और जिसके लिये उसकी सेवाएं समाप्त किया जाना अनिवार्य हो । प्रकरण में यह भी बात सामने आई है कि एक कोरे कागज पर जनप्रतिनिधि एवं गामवासियों से हस्ताक्षर करवाकर शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है । आंगनबाड़ी केन्द्र की देख–रेख का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का है । ग्राम पंचायत ने श्रीमती रूकमणी सज्जन को ग्राम पुसेम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से हटाने तथा उसके स्थान पर नये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और न ही इससे संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बास्तानार एवं परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार को इस बात की जानकारी थी कि श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम की सेवा समाप्ति संबंधी प्रकरण पर न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है तथा श्रीमती रूकमणी सज्जन द्वारा सेवा समाप्ति के विरूद्ध सेवा से बहाल किये जाने हेतु कार्यालय में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 17.11.2023 में कार्यवाही लंबित है । इस तथ्य की पूरी जानकारी होते हुए भी परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार के आदेश क्रमांक/294/परि./स्था./2023–24, दिनांक 11.03.2024 के द्वारा ग्राम पुसेम के आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर श्रीमती मंजुली ताती की नियुक्ति की गई । इससे ऐसा प्रतित होता है कि ग्राम पुसेम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति की कार्यवाही बड़ी तत्परता से किया गया है । तथा उचित आदेश की प्रतिक्षा नहीं किया गया । परियोजना अधिकारी की यह कार्यवाही न्यायालय की अवमाना है । अतः परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल

Head Copyist
प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
...र का कार्यालय
...बस्तर, जगदलपुर
Scanned with OKEN Scanner

विकास परियोजना बास्तानार के विरूद्ध उक्त तथ्य की समुचित जांच कर 15 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल को आदेशित किया जाता है ।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् मुझे यह समाधान हो गया है कि श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पुसेम को ग्राम पंचायत बिरगाली द्वारा प्रस्ताव पारित किये बिना बड़ी तत्परता पूर्वक जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों को शिकायत के आधार पर जांच पश्चात् दिनांक 29.09.2023 को एक ही दिन महिला एवं बाल विकास समिति एवं सामान्य सभा, जनपद पंचायत बास्तानार की बैठक में रखा गया तथा बैठक में अनुमोदन पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बास्तानार के आदेश क्रमांक/1939/जन.स्था./2023–24, दिनांक 03.10.2023 द्वारा श्रीमती रूकमणी सज्जन को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम के पद से सेवा समाप्त की गई । यह आदेश विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना जारी किया गया है, अतः एतद्द्वारा क्रमांक/1939/जन.स्था./2023–24, दिनांक 03.10.2023 को निरस्त किया जाता है तथा श्रीमती रूकमणी सज्जन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पुसेम के पद से सेवा समाप्ति से बहाल किये जाने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 17.11.2023 को स्वीकार किया जाता है । श्रीमती रूकमणी सज्जन को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम, ग्राम पंचायत बिरगाली की सेवा समाप्ति से उनकी सेवा बहाल करते हुए उन्हें ग्राम पुसेम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ किया जाता है । श्रीमती रूकमणी सज्जन को इस आदेश दिनांक से अथवा उसके पश्चात् आंगनबाडी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम के कर्तव्य पर उपस्थिति दिनांक से वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा । इस आदेश की प्रति 1.अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल 2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बास्तानार 3.परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार को प्रेषित किया जावे ।

आज दिनांक 26/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर मुद्रित आदेश पारित किया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बस्तर (छ.ग.)

(विजय दयाराम के.)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कलेक्टर का कार्यालय
जिला - बस्तर, जगदलपुर

Head Copyist

FOR COPYING FEES ONLY